



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ. इन्द्रजीत यादव (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
09/2023	2023/04	28.07.2023	26.09.2023

श्री हीरा लाल मीणा पुत्र बापुलाल मीणा उम्र व्यस्क निवासी रोहनिया उचित मुल्य दुकान रोहनिया FPS कोर्ड संख्या 15232 ग्राम पंचायत रोहनिया तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:- अपीलार्थी

:- बनाम :-

जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़

:- विपक्षीगण

अपील बनाराजगी प्रकरण संख्या 59/2022 निर्णय दिनांक 19.12.2022 (निलम्बन आदेश क्रमांक :- रसद/अभियोजन/2020 दिनांक 20.09.2022)

उपस्थिति :-

1. श्री आशीष चर्तुवेदी (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. पैरोकार सरकार रसद

:- आदेश :-

दिनांक :-26.09.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरुद्ध बनाराजगी प्रकरण संख्या 59/2022 निर्णय दिनांक 19.12.2022 (निलम्बन आदेश क्रमांक :- रसद/अभियोजन/2022/59 दिनांक 20.09.2022) के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 20.09.2023 को अपीलार्थी को एक कारण बताओं नोटीस क्रमांक :- रसद/अभियोजन/2022/51-C जारी करते हुए दिनांक 06.10.2022 तक उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब देने हेतु पाबंद किया गया था।

उक्त कारण बताओं नोटिस अनुसार अवगत कराया गया कि शिकायत कर्ता श्री शेर मोहम्मद द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रस्तुत शिकायत (आई डी. संख्या 092203013691403) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा संचालित उचित मुल्य दुकान FPS code संख्या 15232 की पॉस मशीन के द्वारा जरिये OTP दिनांक 03.09.2022 को एक फर्जी ट्रांजेक्शन करते हुए राशनकार्ड संख्या 008258201758 जो कि अब्दुल हकीम निवासी सूफिया मौहल्ला शेयनी आबाद डीडवाना नागौर जिले का निवासी है के खाते की राशन सामग्री 25 किलोग्राम नियमित गेहूँ तथा 25 किलोग्राम प्रधानमंत्री अन्न योजना का अन्तरण/वितरण अन्य व्यक्ति को कर दिया जो पूर्णतया फर्जी है। इस संबंध में अपीलार्थी से स्पष्टीकरण दिनांक 06.10.2022 तक चाहा गया था।


जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

- किन्तु विपक्षी जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ बिना किसी जवाब कारण बताओं नोटीस के अपीलार्थी से प्राप्त किये ही अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 20.09.2022 को ही निलंबन आदेश जारी कर अवगत कराया गया जो न्याय एवं नियमों के विरुद्ध है।
- यह कि जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जारी कारण बताओं नोटिस के संबंध में अपीलार्थी द्वारा नियत दिनांक 06.10.2022 को व्यक्तिशः जवाब प्रस्तुत करने हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुआ था किन्तु उनके द्वारा मेरा जवाब रिकार्ड पर उस दिवस को नहीं लिया गया जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 11.10.2022 को जरिये पंजीकृत डाक एवं व्यक्तिशः जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया गया।
- यह कि इसी दौरान दिनांक 07.10.2022 एवं दिनांक 27.10.2022 को जिला रसद अधिकारी एवं जिला कलक्टर महोदय के समक्ष अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक पृथक से शिकायत अपीलार्थी से द्वेषता रखने वालों द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में भी जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा मुझे पूनः दिनांक 07.11.2022 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया तथा उक्त शिकायत के संबंध में तहसीलदार पीपलखुंट से जांच रिपोर्ट तलब की गई थी। जिसके संबंध में तहसीलदार पीपलखुंट द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई ठोस अनियमितता दर्शित नहीं की गई फिर भी जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध जरिये प्रकरण संख्या 59/2022 में दिनांक 19.12.2022 को निर्णय पारीत करते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी से हुई वितरण त्रुटि के आधार पर उचित लाभार्थी को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति राशि जरिये ऑनलाइन प्रदान की जा चुकी थी। अपीलार्थी से हुई त्रुटि तकनीकी त्रुटि थी अपीलार्थी द्वारा जानबुझ कर कोई अनियमितता नहीं की गई है।
- यह कि अपीलार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष भी प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जरिये याचिका संख्या SB CW 1032/2023 निर्णय दिनांक 17.02.2023 के अनुसार अपीलार्थी की अपील सक्षम अपीलीय प्राधिकारी स्तर से 15 दिवस में निर्णित करने का आदेश भी प्रदान किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी उपरोक्त आधारों पर स्वीकार फरमाई जाकर प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जावे।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिस पर पैरोकार सरकार रसद स्वयं उपस्थित होकर अपीलार्थी की अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं करने की मंशा के साथ सिधे बहस हेतु निवेदन किया गया जिसके आधार पर बहस उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौरान बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये गये कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा OTP आधार पर किया गया ट्रांजेक्शन बोनोफाईड था न की मेलाफाईड साथ ही उक्त ट्रांजेक्शन के कारण उचित लाभार्थी को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति भी अपीलार्थी द्वारा की जा चुकी है। इस पूरी घटना का कारण उचित उपभोक्ता श्री अब्दुल हकीम निवासी सूफिया मौहल्ला शोयनी आबाद डीडवाना नागौर जिले का निवासी है के जनआधार खाते में दर्ज मोबाईल नम्बर के बंद हो जाने उपरान्त उक्त मोबाईल नंबर रोहनीया क्षेत्र को उपभोक्ता को आवंटित हो गया था जिससे उक्त मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP के आधार पर वितरण में त्रुटि हुई। अपीलार्थी के विरुद्ध आदिनांक तक कोई अन्य शिकायत भी नहीं है केवल राजनैतिक द्वेषता वश जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अन्यथा कार्यवाही प्रस्तावित की गई जो स्वतः निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल फरमावे।


जि. क. कुलकर्णी
(राज.)

इसी प्रक्रम में दौराने बहस पैरोकार रसद द्वारा अपील में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए एवं पारीत निर्णय दिनांक 19.12.2022 में वर्णित कथनों के हवाले से बताया कि अपीलार्थी द्वारा मोबाईल पर प्राप्त OTP का समुचित वेरिफिकेशन करने के उपरान्त वितरण किया जाता तो शायद यह त्रुटि नहीं होती। साथ ही अपीलार्थी के विरुद्ध बार-बार प्राप्त शिकायतों के मदेनजर अपीलार्थी के विरुद्ध पारीत आदेश उचित ही रहा है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे।


बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में दिनांक 02.05.2023, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से निर्णित याचिका संख्या SBCW 1032/2022 निर्णय दिनांक 17.02.2023, जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 20.09.2023, निलबंन आदेश दिनांक 20.09.2022, कारण बताओं नोटिस दिनांक 07.11.2022, जवाब कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.10.2022, नकल आदेशिका प्रकरण संख्या 59/2022, आदेश दिनांक 19.12.2022, अन्य शिकायत पत्र दिनांक 07.10.2022 एवं 27.10.2022 के साथ साथ पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों के तहत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा पारीत आदेश दिनांक 20.09.2022 एवं 19.12.2022 के अनुसार अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा जरिये OTP खाद्य सामग्री का वितरण मूल लाभार्थी से पृथक व्यक्ति को कर दिया गया था किन्तु उक्त त्रुटि में अपीलार्थी का कोई दुष्प्रेरण द्योतक नहीं होता है। यह भी उचित है कि अपीलार्थी को जरिये OTP वितरण के दौरान उचित अनुचित लाभार्थी का वेरिफिकेशन कर लिया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया जिससे यह त्रुटि कारित हुई है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा उचित उपभोक्ता को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति की जा चुकी है तथा अपीलार्थी के विरुद्ध संचालित कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी को जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 20.09.2022 के जवाब प्राप्ति से पूर्व ही उसी दिनांक को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाना जल्द बाजी में की गई कार्यवाही प्रतीत होता है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 11.10.2022 को समुचित तरिके से रिकार्ड पर नहीं लिया गया है तथा अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत अन्य शिकायतें दिनांक 07.10.2022 एवं 27.10.2022 अन्तर्गत तहसीलदार पीपलखुंट द्वारा की गई जांच एवं रिपोर्ट में भी अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अनियमितता दर्शित नहीं होती है। जिससे अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत अन्य शिकायतें द्वेषता पूर्वक प्रतीत होती है। साथ ही अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्व में कोई अनियमितता का प्रकरण दर्ज हुआ हो रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के एक पढे लिखे आदिवासी होने के आधार पर उसे किसी तकनिकी भूल के आधार पर रोजगार से वंचित करना उचित नहीं होगा को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलार्थी उचित हिदायत कि अपीलार्थी भविष्य में वितरण कार्य पूर्ण सावधानी के साथ निष्पादित करेगा की शर्त के साथ न्यायहित में अपील अपीलार्थी स्वीकृत योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार रोहनिया FPS code संख्या 15232 मय प्रतिभूमि राशि बहाल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्ध किया गया है।




(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़